## कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ।

पत्रॉकः /जि0यो0–प्र0वि0स्वी0/2010–11 दिनाँकः 29 मार्च, 2011

## कार्यालय ज्ञाप

अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग, देहरादून के शासनादेश संख्या 1131/XXVIII(1)/2010–58/2010 दि0: 1 दिसम्बर, 2010 द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु ₹ 26.93 लाख आयोजनात्मक पक्ष जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत कर निर्वतन पर रखी गयी थी। जिसमें से जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, पिथौरागढ़ को जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ के कार्यालय–ज्ञाप संख्याः 66/जि0यो0–प्र0वि0स्वी0/2010–11 दिनाँकः 17 जनवरी, 2011 द्वारा मात्र ₹ 6.47 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। शेष धनराशि ₹ 20.46 लाख का पुर्नविनियोग वित्तीय वर्ष 2010–11 में किए जाने हेतु स्वीकृति अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन के प0सं0 316/XXXX-2011-58/2010 दिनांकः 28 मार्च, 2011 के पत्र द्वारा दिया जा चुका है।

अतः उक्त अवशेष धनराशि ₹ 20.46 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति चाहने हेतु जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, पिथौरागढ़ ने अपने टीप संख्या–1 दिनांक 29.3.2011 द्वारा ₹ 20.46 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति चाहने हेतु इस कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं शासनादेश द्वारा आवंटित धनराशि के अनुसार राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु **मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनाँक 24.03.2008 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कुल ₹ 20.46 लाख (बीस लाख छियालीस हजार रूपये) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–**

1. **उक्त शासनादेश संख्या 1131/XXVIII(1)/2010–58/2010 दि0: 1 दिसम्बर, 2010 तथा अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन के प0सं0 316/XXXX-2011-58/2010 दिनांकः 28 मार्च, 2011 में उल्लेखित समस्त शर्तों एवं प्राविधानों का पालन सुनिश्चित किया जाय।**
2. **इस धनराशि का व्यय केवल जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदित कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2010–11 में किया जायेगा।**
3. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय स्वीकृत योजनाओं पर ही आवंटित सीमा तक किया जाय। धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेश के तहत् किया जाय। जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
4. **जिन मामलो में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशो के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उसमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृतियाँ अवश्य प्राप्त कर ली जाय।**
5. **जिन योजनाओं में निर्माण कार्य कराये जाने हो उनके आगणनो की तकनीकी जाँच जिला स्तर पर गठित तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ (टी0ए0सी0) के परीक्षीणोपरान्त योजनान्तर्गत धनराशि व्यय की जाय।**
6. **कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा कार्य निर्धारित सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, पिथौरागढ़ की होगी।**
7. **निर्माण कार्यो की गुणवत्ता प्रगति हेतु सम्बन्धित अभियन्ता उत्तरदायी होगें।**
8. स्वीकृति धनराशि ऐसे कार्यो पर व्यय न की जाय जिसमें किसी प्रकार का विवाद हो।
9. स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2011 तक कर लिया जाय तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रगति विवरण विभागाध्यक्ष/शासन को उपलब्ध कराया जाय। स्वीकृति कार्य को मार्च 2011 तक पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी संबधित जिला स्तरीय अधिकारी की होगी ।

**क्रमशः..... 2**

10. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रकिया वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड 5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुवल) तथा अन्य सुसंगत नियम/शासनादेश आदि का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
11. व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है। **आहरण/व्यय एक मुस्त न करके आवश्यकता अनुसार ही किया जाय।**
12. व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
13. उपरोक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय शासनादेशो में निहित शर्तों के अधीन किया जाय।
14. स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा।
15. मासिक व्यय विवरण/बी0एम0–8 प्रत्येक माह अपने विभागाध्यक्ष को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
16. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष में अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन के प0सं0 316/XXXX-2011-58/2010 दिनांकः 28 मार्च, 2011 में निहित सुसंगत लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा ।

**यह आदेश मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनॉक 24.03.2008 तथा अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग, देहरादून के शासनादेश संख्या 1131/XXVIII(1)/2010–58/2010 दिः 1 दिसम्बर, 2010 एवं अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन के प0सं0 316/XXXX-2011-58/2010 दिनांकः 28 मार्च, 2011 के क्रम में जारी किये जा रहे है।**

(एन0एस0 नेगी)
जिलाधिकारी,
पिथौरागढ।

*संख्याः 832 /जि0यो0/प्रा0वि0स्वी0/2010–11 तद्दिनॉकित।*

**प्रतिलिपिः** निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पिथौरागढ़ ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ।
3. अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ।
4. उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) कुमाँयू मण्डल, हल्द्वानी।
5. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, देहरादून।

**प्रतिलिपिः** सूचनार्थ प्रेषित।

1. ऑयुक्त, कुमाँयू मण्डल नैनीताल।
2. निदेशक, आयुर्वेदिक यूनानी सेवाये, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
4. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग बजट सैल उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ।